राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1749/2014/भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या – 1750/2014/भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या – 1751/2014/भीलवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कोरोनेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
बावजूद सूचना प्रत्यर्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 29/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 155, 156 व 157/ईटी/13–14 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 13.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः 2011–12, 2012–13 व 2013–14 के लिये राजस्थान टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इन्टु लोकल एरियाज एक्ट, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 3, 11, 12, 15, 30, 34ए, 35 व 45 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित प्रवेश कर एवं ब्याज की पुष्टि की गयी है, जबकि आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

2. तीनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से तीनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा प्रवेश कर योग्य माल माईनिंग मशीनरी की अन्तर्राज्यीय खरीद की गई थी एवं कुछ माल ब्रांच ट्रांसफर कर भी लाया गया था। ब्रांच ट्रांसफर माल पुराना होने के आधार पर प्रवेश कर योग्य नहीं मानते हुए प्रवेश कर विवरण पत्र ETLA में नहीं

लगातार.....2

बताया गया एवं अन्तर्राज्यीय खरीद को ETLA में दर्शाते हुए, उस पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत कर जमा कराया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त माल पर 4 प्रतिशत प्रवेश कर, ब्याज एवं कम दर या ETLA में ब्रांच अंतरित माल घोषित नहीं होने के आधार पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 15 के तहत कर की 1.5 गुणा शास्ति आरोपित की गई। उक्त कर निर्धारण से क्षुब्ध होकर अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर एवं ब्याज यथावत रखा, परन्तु माननीय न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित विधि के अनुरूप लेखा पुस्तकों में घोषित संव्यवहार एवं कर दर संबंधित विवाद के होने से शास्ति अपास्त की गई।

4. राजस्व द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 15 में आरोपित शास्ति को अपास्त करने के अपीलीय आदेश के विरूद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

5. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए आरोपित शास्ति को बहाल किये जाने का निवेदन किया एवं राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

6. प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच, कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश के अवलोकन पर यह निर्विवाद तथ्य प्रकट है कि व्यवहारी ने राज्य के बाहर की समस्त खरीद को लेखा पुस्तकों में इन्द्राजित किया हुआ है। इसी तरह ब्रांच ट्रांसफर से प्राप्त पुरानी मशीनरी को भी इन्द्राजित किया गया है, परन्तु कर दर 1 प्रतिशत मानते हुए कर जमा करवाया गया एवं पुरानी मशीनरी पर प्रवेश कर देयता नहीं मानी गयी है। इससे स्पष्ट है कि पूरे प्रकरण में कर देयता एवं कर दर दोनों बिन्दुओं पर विवाद था, परन्तु खरीद संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों से बाहर नहीं रखा गया था। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं कर बोर्ड द्वारा निरन्तर यह निर्णय किए गये हैं कि ऐसे मामलों को करापवंचन का अपराध मानना अनुचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालयों के निम्न निर्णयों के अनुगमन में शास्ति को अपास्त किया गया है –

1. (2010) 26 Tax Update 01 (SC) Shri Krishna Electricals Vs. State of Tamilnadu and Another
2. ACTO, Anti-evasion, Ward-II, Jodhpur Vs. M/s. Vinayak Traders (2012) 47 Tax Word 24 (D.B.-RTB)
3. CTO A/E Jaipur Vs Shyam Agency (2013) 50 Tax World 52 (RTB)
4. CTO A/E, Sriganganagar Vs. M/s Durgeshwari Foods Ltd. 32 Tax Update page 3

लगातार.....3

7. फलतः अपीलीय आदेश में इस बिन्दु पर माननीय न्यायालयों के निर्णय अनुसार शास्ति अपास्त करने में कोई भूल नहीं की गयी है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थीराजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें बलहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं।

9. निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य